1084(?), 1089/3(?), 1189(?),

& 41

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ATTESTED

[illegible] Tripathi
Adv.
Mob: [illegible]

विक्रय मूल्य	-रू0	2,64,000/-
मालियत	-रू0	2,64,000/-
स्टाम्प	-रू0	18,500/-
परगना	-	मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज

........2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 357179

(2)

3. मोहल्ला/ग्राम – बक्कास

4. सम्पत्ति का विवरण–आराजी खसरा सं0–1084स, 1089/3स, 1189स व 1469स

5. मापन की इकाई –हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.066 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)
–सुल्तानपुर रोड से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर।

8. अन्य विवरण (लिंक/खड़ण्जा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)–नहीं

9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि

11. पेड़ों का मूल्यांकन – X

राजकुमार

------3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 357180

(3)

12. बोरिंग/कुआं/अन्य – X
13. निर्माण का वर्ष – X
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 2,64,000/– रुपये

<u>खसरा संख्या–1084स</u> की चौहद्दी

पूरब	:	भूमि खसरा सं0–1085
पश्चिम	:	भूमि खसरा सं0–1093
उत्तर	:	भूमि खसरा सं0–1099 व 1083
दक्षिण	:	भूमि खसरा सं0–1090

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

846547

(4)

खसरा संख्या--1089/3स की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं0–1068

पश्चिम : भूमि दीगर

उत्तर : भूमि खसरा सं0–1090, 1088 व 1087

दक्षिण : भूमि खसरा सं0–1039

खसरा संख्या–1189स की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं0–1188

पश्चिम : भूमि खसरा सं0–717

उत्तर : भूमि खसरा सं0–1190

दक्षिण : भूमि खसरा सं0–719

------- 5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 846548

(5)

खसरा संख्या–1469स की चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा सं0–1467

पश्चिम : भूमि खसरा सं0–1435 व 1436

उत्तर : भूमि खसरा सं0–1470

दक्षिण : भूमि खसरा सं0–1468

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

राजकुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल, निवासी–ग्राम सीतारामपुरवा, मजरा–बक्कास, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, उ0प्र0।

क्रेता का विवरण

सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी–म0नं0–4/2, टाईप–4, पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ0प्र0।

------6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 846549

(6)

मनकि राजकुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल, निवासी–ग्राम सीतारामपुरवा, मजरा–बक्कास, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, उ0प्र0, (विक्रेता) का हूँ:–

जो कि विक्रेता आराजी खसरा संख्या–1084स रकबा 0.0840 हे0, खसरा संख्या–1089/3स रकबा 0.0060 हे0, खसरा संख्या–1189स रकबा 0.0630 हे0, खसरा संख्या–1469स रकबा 0.111 हे0, कुल चार किता कुल रकबा 0.264 हे0 का 1/4 भाग यानी 0.066 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम–बक्कास, परगना व

राजकुमार

-----7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 524582

(7)

तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के संक्रमणीय सहखातेदार भूमिधर दर्ज है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजाराज के बजरूरत होशो हवास

राजकुमार

-----8

में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमाइशी को बकीमती मुबलिग रूपया–2,64,000/– (दो लाख चौसठ हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया– 1,32,000/– (एक लाख बत्तीस हजार रूपया मात्र) होते हैं, मैं बदस्त सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी–म0नं0–4/2, टाईप–4, पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ0प्र0, (क्रेता) के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा

......

दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण या आबादी/आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम–बक्कास, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल–**0.0660 हेक्टेअर है**, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य **रूपया 40,00,000/–** प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग **रूपया–2,64,000/–** होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर

राजकुमार

है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/ 11–2008–500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया–18,500/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह बैनामा समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने–अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

<u>विवरण भूमि बिक्रीशुदा</u>

आराजी खसरा संख्या–1084स रकबा 0.0840 हे0, खसरा संख्या–1089/3स रकबा 0.0060 हे0, खसरा संख्या–1189स रकबा 0.0630 हे0, खसरा संख्या–1469स रकबा 0.111 हे0, कुल चार किता कुल रकबा 0.264 हे0 का 1/4 भाग यानीं 0.0660 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम–बक्कास, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

-----11

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य रूपया–2,64,000/– (दो लाख चौसठ हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नकद प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 03.03.2014

ह0 विक्रेता

राजकुमार

1. गवाह : नरेन्द्र कुमार
नरेन्द्र कुमार
पुत्र रामभरोसे

पता : गोरखनापुर, [illegible]
लखनऊ

2. गवाह : Pawan Tiwari
पवन तिवारी
(एड)

पता : हाईकोर्ट, लखनऊ

ह0 क्रेता

टाइपकर्ता

(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसाविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0–200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

आराजी खसरा संख्या–1084स रकबा 0.0840 हे0, खसरा संख्या–1089/3स रकबा 0.0060 हे0, खसरा संख्या–1189स रकबा 0.0630 हे0, खसरा संख्या–1469स रकबा 0.111 हे0, कुल चार किता कुल रकबा 0.264 हे0 का 1/4 भाग यानी 0.066 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश) स्थित ग्राम–बक्कास, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

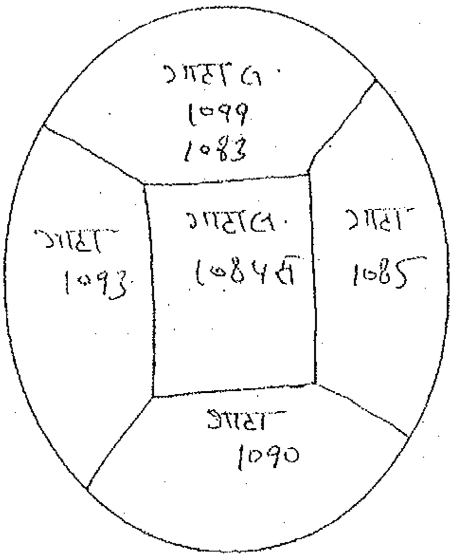

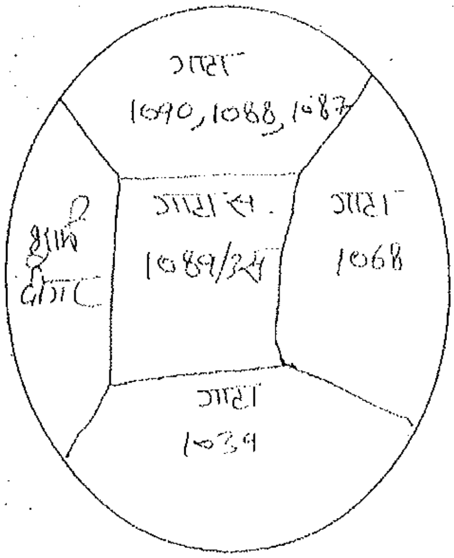

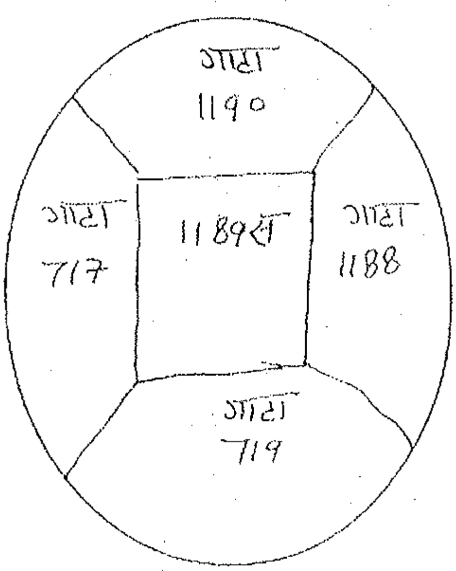

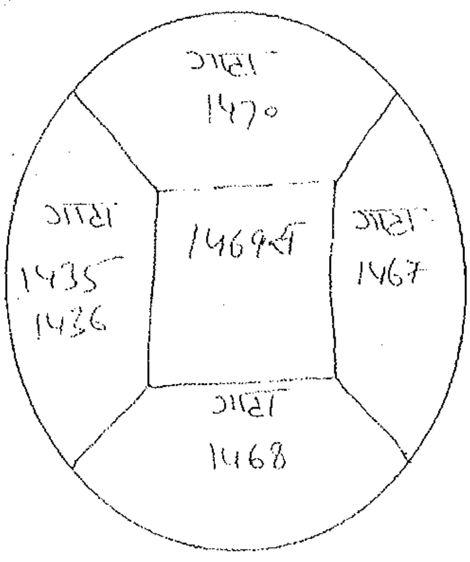

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेतागण

आज दिनांक 03/03/2014 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 4454

पृष्ठ सं. 23 से 46 पर क्रमांक 3461

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि. मोहनलालगंज

लखनऊ

3/3/2014